

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग


क्रमांक:—एफ1(1)(4)आप्रसआ/सामान्य/2009/11723-70 जयपुर, दिनांक: 25/8/09

अधिसूचना

जिला कलेक्टर से प्राप्त विशेष गिरदावरी रिपोर्ट, संवत् 2066 के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 जुलाई, 2010 तक लागू रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	1125
2.	अलवर	2059
3.	बांसवाड़ा	1488
4.	बाड़मेर	2179
5.	भीलवाड़ा	1845
6.	बीकानेर	927
7.	बून्दी	885
8.	चित्तौड़गढ़	1689
9.	चुरू	912
10.	दौसा	1090
11.	डूंगरपुर	947
12.	गंगानगर	1296
13.	हनुमानगढ़	430
14.	जयपुर	2273
15.	जैसलमेर	761
16.	जालौर	791
17.	झुंझुनू	942
18.	जोधपुर	1817
19.	नागौर	1577
20.	पाली	1050
21.	राजसमन्द	1072
22.	सवाई माधोपुर	352
23.	सीकर	1166
24.	सिरोही	487
25.	टोंक	1177
26.	उदयपुर	2496
	योग -	32833

राज्यपाल की आज्ञा से.


 25/8/09
 (तन्मय कुमार)
 शासन सचिव